



19 November 2022

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)

❖ संदर्भ

➤ हाल ही में, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएजी विश्व के सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित ऑडिट संस्थानों में से एक है।

❖ सीएजी के विषय में

- भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है।
- वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- यह एक वित्तीय प्रहरी है जो सभी सरकारी राजस्व और व्यय और मौजूदा कानूनों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है।

❖ सीएजी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के सीएजी को एक स्वतंत्र कार्यालय प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 150 के अनुसार संघ और राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति, सीएजी की सलाह पर, निर्धारित कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।
- अनुच्छेद 279 में कहा गया है कि "शुद्ध आय" की गणना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है।

● नियुक्ति और पदावधि

- सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत वारंट द्वारा की जाती है।
- सीएजी 65 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने पर कार्यालय को खाली कर देता है।

● पदच्युति

- सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया त्याग पत्र।
- उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (संसद - विशेष बहुमत) के हटाने के आधार है।

● कार्य

- वह संबंधित खातों का ऑडिट करता है -
 - भारत की संचित निधि।
 - प्रत्येक राज्य की समेकित निधि।
 - विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि।
- सीएजी सभी व्ययों का लेखा-जोखा करता है-
 - भारत की आकस्मिकता निधि।
 - भारत का सार्वजनिक खाता।
 - प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य का सार्वजनिक खाता।
- सीएजी को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकायों और निगमों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
- वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाता है और प्रमाणित करता है और इस मामले पर उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है।

● रिपोर्ट

- सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को तीन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है -
 - विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
 - वित्त खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
 - सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

बालियात्रा

❖ सन्दर्भ

➤ जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री ने बाली में भारतीय प्रवासियों को अपने संबोधन में बालियात्रा का उल्लेख किया।

Face to Face Centres





19 November 2022

मुख्य बिंदु

- इसका शाब्दिक अर्थ है 'बाली की यात्रा', यह देश के सबसे बड़े ओपन-एयर मेलों में से एक है।
- यह प्राचीन कलिंग (आज का ओडिशा) और बाली और अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा (म्यांमार) और सीलोन (श्रीलंका) के बीच 2,000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है।
- यह कटक में महानदी के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- यह नौ दिवसीय उत्सव कार्तिक पूर्णिमा से प्रारम्भ होता है।
- (कार्तिक के महीने में पूर्णिमा की रात) इस वर्ष की बालियात्रा ने ओरिगेमी की एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई, 35 मिनट में एक ही स्थान पर 22,000 पेपर नौकाओं का निर्माण।

उत्पत्ति

- त्योहार की उत्पत्ति का पता 1,000 से अधिक वर्षों से लगाया जा सकता है।
- बंगाल क्षेत्र की खाड़ी में कई बंदरगाह थे, और साधवों (व्यापारी) ने पारंपरिक रूप से इस शुभ दिन पर समुद्र के पार अपनी यात्रा प्रारम्भ की, जब हवाएं नावों के लिए अनुकूल थीं, जिन्हें बोइता के रूप में जाना जाता था।
- कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार की लोकप्रिय वस्तुओं में काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, रेशम, कपूर, सोना और गहने शामिल थे।
- आज भी, ओडिशा भर में हजारों लोग केले के तने, कागज, या थर्मोकोल से बनी सजावटी लघु नौकाओं को बोइता बंदना, या नावों की पूजा के लिए मनाते हैं।

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ)

❖ सन्दर्भ

- केंद्रीय वित्तमंत्री ने एनआईआईएफ की गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु

- गवर्निंग काउंसिल ने सराहना की कि दो बुनियादी ढांचा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, जिनकी एनआईआईएफ की बहुलांश हिस्सेदारी है, के ऋण में तीन वर्षों में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- एनआईआईएफ ने अपना पहला द्विपक्षीय कोष, 'इंडिया जापान फंड' स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (जेबीआईसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारत-जापान फंड पर्यावरण संरक्षण और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में इक्विटी निवेश करेगा।
- इसके अतिरिक्त, जेबीआईसी अपने "आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक कार्टवाई" (ग्रीन) पहल के तहत एनआईआईएफएल द्वारा प्रबंधित धन की निवेश करने वाली कंपनियों को ऋण वित्तपोषण प्रदान करने पर विचार करेगा।

एनआईआईएफ के बारे में

- इसकी स्थापना 2015 में सरकार द्वारा की गई थी।
- गवर्निंग काउंसिल की वार्षिक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है तथा यह एनआईआईएफ की समग्र रणनीति पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- निवेश समिति (आईसी), सभी निवेश और विनिवेश निर्णयों के लिए जिम्मेदार है और समय-समय पर निवेश प्रदर्शन की समीक्षा करती है।
- यह \$4.3 बिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है।

एनआईआईएफ तीन निधियों का प्रबंधन करता है -

- मास्टर फंड - विभिन्न प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायों / संपत्तियों में निवेश।
- फंड ऑफ फंड्स - विविध क्षेत्रों में निजी इक्विटी फंडों के पोर्टफोलियो के निर्माण पर केंद्रित।
- सामरिक अवसर कोष - भविष्य में भारत में उच्च विकास हेतु व्यवसायों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए।

Face to Face Centres





कृषि पर कोरोनाविद्या संयुक्त कार्य

❖ प्रसंग

- भारत ने , हाल ही में मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कृषि के लिए उत्सर्जन शमन लक्ष्य के सीमा का विस्तार करने का प्रयास करने वाले मसौदे का विरोध किया है।

मुख्य बिंदु

- यह चर्चाएं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के एक विशेष प्रयास का भाग थीं, जिन्हे कृषि पर कोरोनाविद्या संयुक्त कार्य के रूप में जाना जाता है।
- भारत ने कहा कि विकसित देश कृषि उत्सर्जन को कम करने की सीमा विस्तार पर जोर देकर गरीब और किसान समर्थक निर्णयों को प्रतिबंधित कर रहे हैं यह एकप्रकार से विश्व में खाद्य सुरक्षा की नींव से समझौता है।

कृषि पर कोरोनाविद्या संयुक्त कार्य के बारे में

- 2017 में बॉन में आयोजित सीओपी -23 के दौरान इसे अपनाया गया था "कृषि पर कोरोनाविद्या संयुक्त कार्य" पर एक ऐतिहासिक निर्णय अपनाया।
- कोरोनाविद्या निर्णय ने जलवायु परिवर्तन के निस्तारण में कृषि की अद्वितीय क्षमता को मान्यता दी।
- यह छह परस्पर संबंधित विषयों पर - मिट्टी, पोषक तत्वों का उपयोग, पानी, पशुधन, अनुकूलन के आकलन के तरीके, और कृषि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक और खाद्य सुरक्षा आयामों को संबोधित करता है।
- निर्णय ने SBSTA और SBI से कृषि से संबंधित मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करने का अनुरोध किया।

एसबीएसटीए और एसबीआई के बारे में

- SBSTA का अर्थ वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय है। वहीं SBI, कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय के लिए है।
- ये सीओपी/सीएमपी द्वारा स्थापित यूएनएफसीसीसी की दो स्थायी सहायक संस्थाएं हैं।
- ये निकाय वर्ष में कम से कम दो बार मिलते हैं।
- एसबीआई कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन के मूल्यांकन और समीक्षा में सीओपी की सहायता करता है।
- SBSTA COP को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली के मामलों में सलाह देता है।

संक्षिप्त सुर्खियां

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)



प्रसंग

हाल ही में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार किया गया है।

❖ मुख्य बिंदु

- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना का एक घटक है।
- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल) , इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा) मुफ्त में प्रदान करना है।

उद्देश्य : इसका उद्देश्य कोरोना वायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना

Face to Face Centres





है।

नोडल मंत्रालय :- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

लाभार्थी

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवार - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) वर्ग इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- इसके साथ विधवाएं या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएं या अविवाहित पुरुष जिनके पास परिवार या सामाजिक समर्थन या निर्वाह के सुनिश्चित साधन नहीं हैं, वे भी इसके पात्र होंगे।
- सभी आदिम आदिवासी परिवार।
- एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे के सभी पात्र परिवार।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार जैसे कुम्हार आदि।

नार्कोएनालिसिस टेस्ट



प्रसंग

हाल ही में, साकेत, नई दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली हत्याकांड के आरोपी का नार्को परीक्षण करने की अनुमति दी।

नार्कोएनालिसिस टेस्ट के बारे में

- एक 'नार्को' या नार्कोएनालिसिस टेस्ट में, सोडियम पेंटोथल नामक दवा को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है।
- यह उन्हें एक कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोशी की स्थिति में पहुंचाता है, जिसमें उनकी कल्पनाशक्ति निष्प्रभावी हो जाती है।
- ऐसा समझा जाता है कि इस कृत्रिम निद्रावस्था में, अभियुक्त झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है, इस अवस्था में उससे ऐसी जानकारी प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है जो सच हो।
- सोडियम पेंटोथल
- सोडियम पेंटोथल या सोडियम थायोपेंटल एक तेजी से काम करने वाला, कम अवधि का एनेस्थेटिक है।
- सर्जरी के दौरान रोगियों को बेहोश करने के लिए इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
- यह दवाओं के बार्बिट्यूरेट वर्ग से संबंधित है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसाद के रूप में कार्य करता है।

पॉलीग्राफ टेस्ट

- एक पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं सामान्य अवस्था से भिन्न होती हैं।
- पॉलीग्राफ टेस्ट में शरीर में दवाओं को इंजेक्ट करना शामिल नहीं है।
- इसमें रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन आदि जैसे चरों को मापना शामिल है।

विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट

प्रसंग

हाल ही में, CITES सचिवालय ने पहली बार विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट प्रकाशित की।

❖ **मुख्य विशेषताएं**

Face to Face Centres





19 November 2022



- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) और ट्रेफिक के साथ संयुक्त तत्वाधान में प्रकाशित की गई है।
- यह रिपोर्ट इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत विनियमित जानवरों और पौधों में वैश्विक व्यापार में अंतर्दृष्टि और विश्लेषण देती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 2011-2020 के बीच, निर्यातकों द्वारा प्रत्यक्ष व्यापार में लगभग 3.5 मिलियन CITES शिपमेंट की सूचना दी गई थी।
- एशिया और यूरोप शीर्ष निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

CITES के बारे में

- यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है।
- यह सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40,000 प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करता है।
- विश्व की 183 सरकारें (और यूरोपीय संघ भी) इसकी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी सूचीबद्ध प्रजाति की व्यवहार्यता के लिए खतरा बनने से रोकना है।

वित्तीय प्रभावक (फिनफ्ल्युएंसर)



प्रसंग

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) वित्तीय प्रभावकों को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा है।

❖ मुख्य विशेषताएं

फिनफ्ल्युएंसर वे हैं जो ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक निवेशकों को सलाह देते हैं।

उनके वीडियो में बजट, निवेश, संपत्ति खरीदना, क्रिप्टोकुरेंसी सलाह और वित्तीय प्रवृत्ति ट्रेकिंग शामिल है।

चिंताएं -

- पूंजी बाजार निवेशक के बढ़ते आधार की पृष्ठभूमि में खुदरा निवेशकों का विश्वास कम होना।
- स्कैमस्टर शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं।
- सोशल मीडिया पर वित्तीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए फिनफ्ल्युएंसर को भुगतान मिलता है।

टेबलटॉप हवाई अड्डे



प्रसंग

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से भारत में टेबलटॉप हवाई अड्डों की समीक्षा करने की सम्भावना है।

❖ मुख्य बिंदु

ये ऐसे हवाईअड्डे हैं, जहां आसपास के भूगोल की तुलना में रनवे को ऊंचा किया जाता है।

इसका उद्देश्य ऐसे हवाईअड्डों पर किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव को बढ़ाना है।

वर्तमान में केरल में कोझीकोड, कर्नाटक में मंगलुरु, हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू, मिजोरम में लेंगपुई हवाई अड्डा और सिक्किम में पकयोंग हवाई अड्डे देश के प्रमुख टेबलटॉप रनवे में सम्मिलित हैं।

Face to Face Centres





DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE

Current affairs summary for prelims

19 November 2022

एवरग्रीनिंग



प्रसंग

भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि, भारत-ब्रिटेन एफटीए के अंतर्गत पेटेंट वाली दवाओं के एवरग्रीनिंग की ब्रिटिश मांग पर भारत के सहमत होने की संभावना नहीं है।

❖ मुख्य बिंदु

- एवरग्रीनिंग का अर्थ कंपनियों की ऐसी प्रथाओं से है जहाँ कम्पनिया पेटेंट के विस्तार के लिए 20 साल की उम्र में पेटेंट की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले अपनी दवाओं में मामूली बदलाव करती हैं।
- ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के एक क्लॉज से भारतीय जेनेरिक दवा निर्माताओं को नुकसान होगा और यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए समस्याएँ पैदा होंगी जो भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है।
- भारतीय थोक दवा उद्योग, ब्रिटेन में मूल्य-नियंत्रित दवाओं का एक चौथाई भाग है तथा भारतीय थोक दवा उद्योग विश्व के कुछ सबसे गरीब देशों के स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए एक जीवन रेखा है।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:
0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA:
9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyyeaias.com